उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या- 11/2017/1476/बयालिस-2017-31(विविध)/2017टी0सी0- ।।

लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2017

कार्यालय-आदेश

आप अवगत है कि शासन के विभिन्न कार्य कलापों/गतिविधियों में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार/कदाचार होने से जहॉ शासकीय धन का अपव्यय होता है वही उसका लाभ प्रदेश की आम जनता प्राप्त करने से वंचित हो जाती है। वर्तमान सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की है। इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि अपने विभाग में सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सतर्कता अधिकारी आदि की नियुक्ति कर ली जाए। साथ ही साथ मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर के सभी कार्यालयों में इससे संबंधित बोर्ड भी लगवा दिया जए कि भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत किन अधिकारी को की जाए उसका नाम, पदनाम, मोबाईल नं0 व कार्यालय का नम्बर साफ व स्पष्ट शब्दों में अंकित हो।

मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर तक सभी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाए कि भ्रष्टाचार संबंधित किसी भी शिकायत को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाए और संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

उक्त निर्देशों का तत्काल कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1476(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
3- विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, खेल अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय तथ फील्ड स्तर पर सभी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देशित कर दें।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in